खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
अगस्त, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों की पहल के तहत आधार से जुड़ी बायोमिट्रिक अधिप्रमाणन सुविधाओं के साथ अब 3,35,177 (63.30%) उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। अन्न वितरण पोर्टल के अनुसार माह अगस्त, 2018 में कुल ई-पीओएस आधारित लेनदेन का लगभग 72 प्रतिशत (जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पीओएस प्रचालनरत हैं) लाभभोगियों के आधार/बायोमिट्रिक का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणित किया गया था।

- इस समय देश भर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग लगभग 84.50 प्रतिशत (परिवार का कम से कम एक सदस्य) तथा राशन कार्ड डाटा में लाभार्थीवार आधार सीडिंग लगभग 77.30 प्रतिशत है।

- दिनांक 01.09.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 590.86 लाख टन (205.77 लाख टन चावल तथा 385.09 लाख टन गेहूं) है, जो अनुकूल स्थिति है।

- खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से माह अगस्त, 2018 की चौथी निविदा तक खुले बाजार में 5.59 लाख टन गेहूँ तथा 1.23 लाख टन चावल की बिक्री की गई है।

- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान 27.08.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के रूप में 60.40 लाख टन धान खरीदी गई है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 56.64 लाख टन की खरीद की गई थी।

- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान देश के अन्य भागों में खरीद तेजी से हुई है, जिसमें 430 लाख टन के लक्ष्य के प्रति धान के रुप में 364.85 लाख टन चावल की खरीद (दिनांक 31.08.2018 की स्थिति के अनुसार) पहले ही कर ली गई है। रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 355.22 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

- जहां तक आधुनिक साईलोज के निर्माण का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 85 स्थानों पर कुल 44.25 लाख टन क्षमता के लिए साईलो ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर 6.25 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया

गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3.00 लाख टन के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और 35.00 लाख टन के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है।

- 31.07.2018 तक पीईजी स्कीम के अधीन 141.47 लाख टन की संचयी क्षमता पूर्ण कर ली गई हैं। माह के दौरान झारखंड में 10,000 टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण किया गया है।

- चीनी मिलों से प्राप्त ऑनलाइन रिपोर्टों के अनुसार मौसम 2017-18 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान गन्ने से चीनी का उत्पादन घरेलू रॉ चीनी सहित विगत चीनी मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 201.74 लाख टन की तुलना में दिनांक 31.08.2018 की स्थिति के अनुसार 321.96 लाख टन है।

- चीनी मौसम 2017-18 हेतु दिनांक 31.08.2018 की स्थिति के अनुसार 85156 करोड़ रुपए के कुल देय गन्ना मूल्य में से 70858 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और 14298 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य लंबित है।

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और इथेनोल ब्लेंडेड कार्यक्रम के अधीन पेट्रोल के साथ इसकी आपूर्ति करने के लिए दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3523 (ई) के द्वारा "इथेनॉल उत्पादन क्षमता के विस्तार एवं संवर्धन हेतु चीनी मिलों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम" नामक स्कीम अधिसूचित की है, उपर्युक्त स्कीम का लाभ और आधिक चीनी मिलों को प्रदान करने के लिए इसे दिनांक 09.08.2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

- इस विभाग ने दिनांक 14.08.2018 की अधिसूचना के द्वारा लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश 1979 को संशोधित करते हुए लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई उत्पादक अथवा आयातक अथवा मान्यता प्राप्त डीलर जिसे खंड-2 के अंतर्गत लेवी चीनी की डिलीवरी करने की बाध्यता है, किसी चीनी मौसम के संबंध में लेवी चीनी के संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसके पास उप-खंड (2) के प्रावधानों के अनुसार लेवी चीनी की वास्तविक डिलीवरी के बदले में धन का भुगतान करके बाध्यताओं को पूरा करने का विकल्प होगा। इस रकम की गणना खुले बाजार में चीनी की बिक्री से हुई वास्तविक वसूली तथा किसी विशिष्ट चीनी मौसम जिससे लेवी बाध्यता संबंधित है, के लिए अधिसूचित लेवी चीनी मूल्य के अंतर के रूप में की जाएगी।

****